

**03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अनूप कुमार पुत्र जीतराम नि० कोल्हुआ गोसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-349/21, 02. गीता देवी पत्नी महेश उर्फ चॉदे नि० तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-350/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रवि सैनी पुत्र शेषराम नि० ग्राम बनकटरा दिनारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-255/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रमेश पुत्र रामचन्द्र नि० पल्लीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु०अ०सं०-283/21, धारा 60/72 आबकारी अधि०, 02. सुकई पुत्र अहदु नि० ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु०अ०सं०-284/21, धारा 60/72 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बाल किशुन उर्फ बोरा पुत्र सेवक नि० कलहंशन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-231/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दीपक निषाद पुत्र ओम प्रकाश नि० गायत्रीपुरम निकट चॉदनी शाह मजार, सिविल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-790/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. कालीचरन सिंह उर्फ रिन्शु सिंह पुत्र बाबादीन सिंह नि० ग्राम नरायनपुर जयसिंह थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-294/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. मतई पुत्र स्व० बृजलाल नि० खिरिया कालोनी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-385/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.10.2021**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजा उर्फ बटन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 38 अदद अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राजा उर्फ बटन पुत्र स्व० अजीज नि० मोहल्ला महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-791/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. अल्प्राजोलम की 38 टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

